(53)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2499–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–4–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 86/अपील/07–08.

श्रीमती जानकी बाई पत्नी जगदीश प्रसाद यादव
निवासी ग्वालटोली, होशंगाबाद
जिला होशंगाबाद .....आवेदिका

विरूद्ध

1– श्रीमती ललता बाई पत्नी रामलाल यादव
निवासी ग्राम शुक्करवाड़ा
तहसील बावई जिला होशंगाबाद
2– श्रीमती जशोदा बाई पत्नी शंकरलाल यादव
निवासी ग्वालटोली, होशंगाबाद
जिला होशंगाबाद .....अनावेदकगण

गुलाब सिंह चौहान, अभिभाषक, आवेदिका
श्री सी.एम. गुप्ता, अभिभाषक अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/7/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–4–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा अनुविभगीय अधिकारी, होशंगाबाद के आदेश दिनांक 19–9–07 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त,

नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा अपील प्रकरण कमांक 86/07–08 दर्ज कर दिनांक 28–4–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर स्थगन दिया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में दिनांक 28–4–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर अभिलेख मंगाया जाने के निर्देश दिये गये थे, बाद में उक्त आदेशिका को काटकर पुनः आदेशिका लिखी जाकर स्थगन दिया गया है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा अन्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही को स्थगित किया गया है, जिसका अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं था । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय अथवा व्यवहार न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदिका जानकी बाई द्वारा जो अनुतोष चाहा गया था, वह अनुतोष उसे प्रदाय नहीं किया गया है, क्योंकि जानकी बाई का दावा खारिज किया गया था ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों एवं विधि के प्रावधानों के प्रकाश में स्थगन आदेश पारित किया गया है, जो कि उचित कार्यवाही है ।

(3) अपर आयुक्त द्वारा स्थगन देने में माननीय उच्च न्यायालय अथवा व्यवहार न्यायालय के आदेशों की अवमानना नहीं की गई है, क्योंकि व्यवहार न्यायालय से आवेदिका के विरूद्ध निर्णय हुए हैं ।

(4) आवेदिका सर्वप्रथम अपर आयुक्त के समक्ष दिनांक 9–6–2016 को उपस्थित हुई है, और अपर आयुक्त द्वारा उसके पूर्व कार्यवाही कर स्थगन दिया गया है, अतः आवेदिका को अपर आयुक्त के समक्ष उपस्थित होकर स्थगन पर आपत्ति प्रस्तुत करना चाहिए थी, इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करना औचित्यहीन है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष अपील लम्बित होने से तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 82/अ–27/15–16 में प्रचलित कार्यवाही स्थगित करने में

किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप केवल तीन माह के लिए स्थगन दिये जाने का प्रावधान है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा अपील के निराकरण तक स्थगन दिया गया है, जो कि संहिता में हुए संशोधन के विपरीत है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर केवल तीन माह के लिए तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 82/अ–27/15–16 में प्रचलित कार्यवाही स्थगित की जाये एवं अपर आयुक्त को निर्देश दिये जायें कि वे तीन माह के अन्दर उनके समक्ष लम्बित प्रकरण का अन्तिम निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–4–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अपर आयुक्त को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर